जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन सम्पर्क अनुभाग)

प्रेस–विज्ञप्ति

पीडीसी उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी की छूट का सुनहरा अवसर
योजना की अवधि 1 से 31 मार्च तक

जयपुर, 21 फरवरी। जयपुर विद्युत वितरण निगम में स्थाई रुप से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद उपभोक्ताओं की बकाया राशि पर एक माह के लिए समस्त ब्याज एवं पेनल्टी की छूट दिए जाने की एमनेस्टी योजना प्रारम्भ की जा रही है। यह योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एक से 31 मार्च, 2012 की अवधि में लागू रहेगी।

जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार 31 मार्च, 2011 से पूर्व स्थाई रुप से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद बिजली कनेक्शनों पर बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर बकाया राशि पर ब्याज एवं पेनल्टी की समस्त राशि की छूट दी जाएगी।

आज जारी आदेश के अनुसार इस योजना का लाभ बकाया सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराने पर ही मिलेगा तथा बकाया राशि किश्तों में स्वीकार नही की जाएगी।

बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण जो न्यायालय विचाराधीन है उन्हे वापस लेने पर ही इस योजना के अन्तर्गत ब्याज एवं पेनल्टी से छूट का लाभ देय होगा।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े औधोगिक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को अपनी बकाया राशि जमा कराने के लिए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन कर राशि जमा करानी होगी। बड़े औधोगिक उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी (एचटीबी) के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

स्थाई रुप से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कनेक्शनों पर बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं से अपील है कि वे एक से 31 मार्च, 2012 की अवधि में अपनी बकाया राशि जमा कराने के इस अवसर का लाभ प्राप्त करें तथा समस्त ब्याज एवं पेनल्टी की राशि की छूट का लाभ उठावें।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 279/2012